न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः— श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. : 19 / 2015
दायरा तिथि : 26.03.2015
निर्णय तिथि : 03.02.2017

वादीगण	बनाम :	प्रतिवादीगण
1. स्व. पूनमचन्द पुत्र श्री मगाजी एवं मु. सोनी बेवा पूनमचंदजी के का.मु. 1.1 गोविन्दराम पुत्र पुनमचंद 1.2 रमेश कुमार पुत्र पुनमचंद 1.3 श्रीमती सोनीबाई पत्नी पुनमचंद, कौम—रावल ब्राह्म्ण निवासी तखतगढ 1.4 श्रीमती मंजू पुत्री पुनमचंद कौम—रावल ब्राह्म्ण हाल निवासी पाली 1.5 श्रीमती देवी पुत्री पुनमचंद कौम—रावल ब्राह्म्ण हाल निवासी शिवगंज 1.6 श्रीमती नन्दा पुत्री पुनमचंद कौम—रावल ब्राह्म्ण हाल निवासी सिरोही 1.7 श्रीमती रेखा पुत्री पुनमचंद कौम—रावल ब्राह्म्ण हाल निवासी बिजापुर तह. बाली		1. स्वर्गीय सरेमल पुत्र किस्तुरजी जाति जैन के का.मु 1.1 कांतिलाल पुत्र सरेमल, निवासी—तखतगढ , हाल निवासी खारेकर सोसायटी डी—विंग , तीसरा माला, ब्राहम्ण अली , भिवण्डी 1.2 पारसमल पुत्र सरेमल निवासी—तखतगढ , हाल निवासी 243, बिठ्ल बिल्डिंग, पहला माला, ब्राहम्ण अली , भिवण्डी 1.3 श्रीमती चंदाबाई पत्नी कैलाश कुमार निवासी तखतगढ हाल निवासी— C/O रामदेव ओटोमोबाईल्स , जगदाल कॉम्पलेक्ष, कराड, महाराष्ट्र 1.4 उत्तम कुमार पुत्र सरेमल निवासी तखतगढ हाल निवासी — रामदेव ओटोमोबाईल्स , जगदाल कॉम्पलेक्ष, कराड, महाराष्ट्र 2. शंकरलाल पुत्र स्व. किस्तुरजी जाति जैन, निवासी तखतगढ, हाल ललित क्लॉथ स्टोर, थाना, महाराष्ट्र 3. रविकांत पुत्र जगतारसिंह जाति अरोडा निवासी पटियाला , पंजाब 4. राजस्थान सरकार, जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला—पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट , 1955

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पुखराज कुमावत उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से सरकारी पेरोकार नायब तहसीलदार ,सुमेरपुर उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 03.02.2017

1. उपरोक्त प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा तखतगढ में स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 360 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा सरेमल शेषमल व शंकरलाल पिता किस्तुरचंद कौम महाजन निवासी तखतगढ की खातेदारी आराजी आई हुई थी, जिसमें सें 16 बीघा भूमि देवराम पुत्र दलाजी जाति कुम्हार निवासी तखतगढ ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 04.04.1972 को खरीद की थी। देवाराम पुत्र दलाजी कुम्हार ने

लगातार पेज —2 ....

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला—पाली (राज)

Scanned by CamScanner

उक्त आराजी 16 बिघा भूमि को वादीगण के पिता व माता स्व. पुनमचंद व सोनी देवी को दिनांक 12.10.1972 को बैचान कर दी थी। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर वक्त खरीद से वादीगण के माता पिता एवं बाद में स्वम् वादीगण का शांतिपुर्ण कब्जा–कास्त चला रहा है तथा वर्तमान में भी वादीगण का कब्जा कास्त चला आ रहा है।

2. उक्त वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नं. 655 रकबा 1.25 हैक्टर दर्ज हुए है। वक्त सेटेलमेंट 16 बिघा के स्थान पर 1.25 हैक्टर भूमि ही वादीगण के माता पिता के कब्जे मे थी। अतः सेटेलमेंट कार्मिकों ने 1.25 हैक्टर भूमि का अलग खसरा नं. देकर वादीगण के माता–पिता का नाम दर्ज किया। लेकिन साथ ही इसी खसरे में सरेमल शंकरलाल पि. किस्तुरचंद महाजन 2/3 व रविकांत पुत्र जगतारसिंह अरोडा 1/3 हिस्से में संयुक्त खातेदार में दर्ज कर दिये। उक्त इद्राज में प्रतिवादी संख्या 01 से लगाय 03 का नाम गलत इन्द्राज हो जाने से उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त सम्पूर्ण भूमि के खातेदार मानने से इन्कार कर दिया।

3. वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं. 655 रकबा 1.25 हैक्टर किस्म जवाई नहरी दोयम वर्ष 1972 से लगातार वादीगण के कब्जा कास्त में है, लेकिन उक्त आराजी में गलत इन्द्राज संयुक्त खातेदार प्रतिवादी सं. 01 से लगाय 03 का वादग्रस्त आराजी का कभी कोई कब्जा कास्त नही रहा है। वकीलवादी द्वारा उपरोक्त आशय का वाद प्रस्तुत करने पर विधि सम्मत दर्ज कर प्रतिवादीगणों को जवाब दावा पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 के अलावा तमाम प्रतिवादीगणों द्वारा अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 04 को सूचित करने हेतु दैनिक समाचार पत्र राजस्थान खोजखबर के दिनांक 28.03.2016 के अंक में आम सूचना छाया की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 04 को अपना अभ्यावेदन वकालतन एवं असालतन प्रस्तुत करनें की हिदायद दी गई। प्रतिवादी द्वारा अपनी तरफ से वकालतन एवं असालतन कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया। अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली शहादत वादी हेतु रखी गई। वकील वादी ने शहादत के रूप में गवाह गोविन्दराम तथा गवाह लक्ष्मणसिंह के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादीगण की जिरह एक तरफा कार्यवाही होने से नही की गई।

4. प्रतिवादीगण क जवाब के अभाव में तनकियात कायमी की आवश्यकता नही रही । अतः पत्रावली बहस हेतु रखी गई। हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस को सुना । सरकारी पेरोकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ सलंग्न दस्तावेजों का मनन किया। जिससें वादीगण के माता–पिता द्वारा देवाराम पुत्र दलाजी कौम कुम्हार से 16 बिघा भूमि खरीद करने की पुष्ठि होती है। साथ ही श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों सें यह भी सिद्ध होता है कि वादीगण के माता–पिता ने उक्त भूमि का बैचान बक्सीस या दान आदि नही किया है।

5. सम्पूर्ण तथ्यों पर पत्रावली के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों का गंभीरता पूर्वक मनन करने पर पाया गया कि भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान कार्मिकों ने वादीगण की आराजी खसरा नं. 655 रकबा 1.25 में बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया है। जिन्हे हटाकर वादीगण को सम्पूर्ण खसरा 655 रकबा 1.25 का खातेदार घोषित किया हम उचित समझते है। चूँकि वादीगण ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने पक्ष में साबित कर लिया है जिस कारण वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

लगातार पेज –3 ....

Scanned by CamScanner

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों व वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के परिणाम स्वरूप वादीगण का यह वादपत्र बहक वादी विरूद्ध बहक प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत साक्ष्य/जवाब के अभाव में स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा तखतगढ खसरा नं. 655 रकबा 1.25 हैक्टर भूमि के खाते में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 03 के गलत नामो के गलत इन्द्राज को हटाकर वादग्रस्त आराजी में वादी स्व. पूनमचंद के कायम मुकाम वारिसान प्रतिवादी सं. 1.1 लगाय 1.7 के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करे। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का तखतगढ उपरोक्त निर्णय /डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनका कोई प्रतिनिधि किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी या हस्तक्षेप नहीं करे । इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में पारित की जाती हैं । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 03–02–2017 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (राज०)

Scanned by CamScanner